

प्रेषक,

श्री अशीक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रगति विहार नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुभाग

तखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 1997

विषय:- सेन्ट रन्थोनी पब्लिक स्कूल जयप्रकाशनगर आलमबाग तखनऊ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त लिपिक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट रन्थोनी पब्लिक स्कूल जयप्रकाशनगर आलमबाग तखनऊ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की प्रंजीकृत सौतायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैयक्तिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

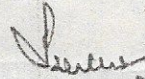
2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

11। विद्यालय हेतु नई क्रय की गई भूमि पर निर्माणाधीन भवन पूर्ण कराकर विद्यालय इसमें स्थानान्तरित करके शासन को 'अवगत' कराया जायेगा ।

12। विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक/शिक्षिकायें प्रशिक्षित तथा अर्ह हैं तथा उन्हें वेतनानुसारतम मजदूरी की व्यवस्थानुसृत्य/मानकानुसृत्य बैंक से दिया जा रहा है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,



अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव ।

प्रसंग संम 181111/15-7-1997 तदतिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, सेन्ट एन्थोनी पब्लिक स्कूल जय प्रकाश नगर आलमबाग लखनऊ ।

आज्ञा से,

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव ।